RISING RAJASTHAN

Azadi ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 26 / 2023 (BMR 97 / 2022) **GCMS NO. 2023/123**

अपीलांट :–

1. श्री चंपाराम पुत्र रकबाराम जाति मेघवाल, निवासी चांदियों की ढाणी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.07.2022 जो प्रकरण सं. 41 / 2022 तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री संजय नाहर, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.02.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रकरण संख्या 41 / 2022 सरकार बनाम चंपाराम पुत्र रकबाराम जाति मेघवाल में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2022 के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर दिनांक 29.08.2022 एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का गोपड़ी द्वारा तहसीलदार पचपदरा के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चांदियों की ढाणी के खसरा नम्बर 86 रकबा 01.19 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता की भूमि में से 0.10 बीघा भूमि पर गैर सायल श्री चंपाराम पुत्र रकबाराम जाति मेघवाल, निवासी चांदियों की ढाणी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा द्वारा अनाधिकृत (बुआई) के रूप में कब्जा कर लिया है, जो अवैध है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट उपरांत गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 11.07.2022 के द्वारा 04.00 / – रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा से अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित आलोच्य अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट की भूमि मौजा गोपड़ी की राजस्व माठ के खेत खसरा नंबर 99 में अवस्थित है, जबकि खसरा संख्या 86 गैर मुमकिन रास्ता चांदियों की ढाणी में आया हुआ है। अपीलांट के खातेदारी खेत है, जो सामलाती पैतृक कृषि भूमि है। उक्त भूमि पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नही है तथा न ही कभी हल्का पटवारी द्वारा कोई पैमाईश की गयी है और न ही तहसीलदार पचपदरा द्वारा कोई ऐसी कोई रिपोर्ट सलंग्न की गयी है। जिससे भी अपीलांट अतिक्रमी साबित नही होता है। अपीलांट के खातेदारी खेत संयुक्त व अविभाजित सामलाती कृषि भूमि है, जिसमें अलग हिस्सा नहीं किया हुआ है। जिस कारण से भी अपीलांट को अतिक्रमी नही माना जा सकता है। खसरा स. 86 गैर मुमकिन रास्ता रकबा 1.19 बीद्या है तथा रास्ते के रूप में है, जिसमें से 10 विस्वा भूमि पर अतिक्रमण की बात भी स्वीकार योग्य नही है, क्योकि मौके पर रास्ता चल रहा है जिस पर किसी भी प्रकार का की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। उक्त खसरा संख्या 99 के सेडे पर रास्ता चल रहा है न की प्रार्थी की भूमि में होकर जा रहा है। पचपदरा तहसीलदार के न्यायालय में दिनांक 28.06.2022 को प्रकरण दर्ज किया था, जिसकी प्रथम पेशी दिनांक 04.07.2022 को थी, जिसमें अपीलांट ने उपस्थित होकर अपना अधिवक्ता किया था तथा जबाव हेतु पेशी दिनांक 16.07.2022 को नियत की गयी थी, लेकिन बाद में आदेशिका में दिनांक 16.07.2022 को कांट छाट कर दिनांक 11.07.2022 नियत पेशी तारीख कर दी तथा उसी दिन निर्णय भी कर दिया। जबकि अपीलांट को पेशी दिनांक 16.07.2022 दी गयी थी, जिससे भी अपीलांट को निचले न्यायालय में न्याय से जानबुझकर महरूम रखा गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमावे तथा अपीलांट के विरूद्ध चल रही धारा 91 रा.भू.अधि. की कार्यवाही को खारीज फरमाने के आदेश तहसीलदार पचपदरा पर करावे।

5. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। मौजा चांदियों की ढाणी के खसरा नम्बर 86 रकबा 01.19 बीघा किस्म गैर मुमकीन रास्ता की भूमि में से 0.10 बीघा भूमि पर गैर सायल श्री चंपाराम पुत्र रकबाराम जाति मेघवाल, निवासी चांदियों की ढाणी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा द्वारा अनाधिकृत (बुआई) के रूप में कब्जा कर लिया है, जो अवैध है। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार पचपदरा

जिला कलक्टर

द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के अन्तर्गत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट उपरांत गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 11.07.2022 के द्वारा 04.00/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की मुख्य आपति यह है कि अपीलांट का खातेदारी भूमि मौजा गोपडी की राजस्व माठ पर के खसरा 99 में अवस्थित है, जबकि तहसीलदार द्वारा अपीलांट को मौजा चांदियों की ढाणी के खसरा संख्या 86 पर गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमी माना है तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में अधीनस्थ तहसीलदार पचपदरा से उक्त आलोच्य आदेश प्रकरण संख्या 41/2022 दिनांक 11.07.2022 तलब किया गया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 11/2022 की मूल पत्रावाली भिजवाई जाने पर मिलान नहीं किया जा सकता है। साथ ही पत्रावली में सलंग्न प्रतिलिपि आदेशिका में कांटछाट होना पाया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर देते हुए आलौच्य आदेश दिनांक 11.07.2022 को पारित किया गया। उक्त तथ्यों सहित जवाब एव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की कार्यवाही एक सरसरी जांच कार्यवाही है जिसके द्वारा मौके कब्जे की विस्तृत जांच, अपीलांट को सुनवाई का अवसर एवं वास्तविक तथ्यों के बारे में संतुष्टि आवश्यक है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में इसका अभाव रहा है, जिससे अपीलाधीन कार्यवाही दूषित एवं अपूर्ण होना प्रतीत होता है। ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं करने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से उक्त आलोच्य आदेश बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूखण्ड पर कब्जा के सम्बन्ध में अपीलांट की उपस्थिति में स्वयं मौका जांच करें तथा हल्का भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी से भिन्न अन्य भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ टीम गठित कर से पैमाईश कराई जाकर रिपोर्ट ली जावें तथा अपीलांट के विरूद्ध जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 आर0एल0आर एक्ट पर अपीलांट को सुनवाई एवं

जिला कलक्टर
बालोतरा

साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा